कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम ग्रेटर जयपुर

क्रमांकः एफ.9( )आ.फा./ज.न.नि./21/6851 दिनांक 31/3/2021

श्री नेमी चन्द यादव,
पुत्र श्री श्रवण लाल यादव,
निवासी 26, श्री करणी गोविन्द रोड,
गोकुलपुरा झोटवाडा जयपुर।

विषयः– आवेदित स्थल श्री करणी गोविन्द नगर रावण गेट कालवाड रोड जयपुर में निर्मित एस.जी इन्टरनेशनल स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित स्थल श्री करणी गोविन्द नगर रावण गेट कालवाड रोड जयपुर में निर्मित एस.जी इन्टरनेशनल स्कूल की स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण चाहने हेतु इस विभाग में आवेदन किया है। अतः स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्री छोटूराम सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया जिसकी स्थिति निम्न प्रकार हैः–

**निर्माण की स्थितिः–**

1. स्थल पर एक स्कूल संचालित है जो बेसमेन्ट, ग्राउण्ड, प्रथम व द्वितीय व तृतीय तल तक बनी हुई है।
2. उक्त स्थल एक पानी का टैंक तथा दो सिढियॉ बनी हुई है।

**अग्निशमन यन्त्रों की स्थितिः–**

1. परिसर में उचित संख्या में फायर एग्सटीनग्युसर लगवा रखे है।
2. परिसर में उचित संख्या में हॉज रील होज लगवा रखा है।
3. परिसर में उचित मात्रा में पानी का भण्डारण किया हुआ है।
4. परिसर में हाईड्रेन्ट सिस्टम लगा हुआ है।
5. परिसर में बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है।

वर्तमान में स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र/उपकरणो व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था मे रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया। अतः उक्त भूखण्ड पर निर्मित भवन/शैक्षणिक भवन की स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार ही जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तानुसार जारी की जाती है व भविष्य में स्थल पर अग्निशमन उपकरणो की प्रर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। आवेदक को एक वर्ष बाद स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोफ रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपायोग नही किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

1. पानी के टैक हर समय भरे रखने होगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घन्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगे।
2. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घन्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये प्रर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
5. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरिक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
6. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवम इस बाबत् आवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
7. भवन में पार्किग की नियमानुसार व्यवस्था करनी होगी एवम् उक्त स्थल पर अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

31/3/2021
उपायुक्त (फायर)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

Scanned with CamScanner